न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120026792025

Warrant or Summons Criminal Case/1368/2025

परिवाद सं०–655/2025
श्रीमती मीना बनाम शाहबुद्दीन आदि
थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–02.07.2026 लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस. दिनांक 19.08.2025 को अंकित किये गये। परिवादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस. में कथन किया गयाह है कि "मुझे, मेरे बेटे तथा पति को गुम चोट लगी थी। बाद में वो लोग डंडे भी ले आये थे। डॉक्टर को नहीं दिखाया। कम चोट थी। खून नहीं निकला था, न ही कोई दवा ली थी। बाद में कहा गांव के डॉक्टर से ली थी।" तत्पश्चात पत्रावली बयान अंतर्गत धारा 225 बी.एन.एस. में नियत की गयी, परन्तु परिवादिनी द्वारा बयान अं०धारा 225 बी.एन.एस. के अन्तर्गत किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है न ही परिवादिनी स्वयं उपस्थित आ रही है। आज भी परिवादिनी न तो स्वयं उपस्थित है न ही उसकी ओर से कोई साक्षी उपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रा०पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादिनी को दिनांक 09.04.2026 को बयान अं०धारा 225 बी.एन.एस. हेतु अंतिम अवसर दिया गया। परिवादिनी का साक्ष्य अं०धारा 225 बी.एन.एस. का अवसर दिनांक 02.7.2026 समाप्त किया गया। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र तथा अपने साक्ष्य अं०धारा 223 बी.एन.एस. को सम्पुष्ट कराने हेतु किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्षीगण को तलब करने का आधार पर्याप्त नहीं। अतः परिवादिनी का परिवाद धारा 226 बी.एन.एस. के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद उपरोक्त धारा–226 बी.एन.एस. के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court